

STATE ELECTION COMMISSION
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
NIGAM BHAWAN: KASHMERI GATE, DELHI-110006.

NOTIFICATION

Dated the 03 / 11 / 2025

No. F.4/BYE (6)/SEC/LAW/2025/(i)/21316 :- WHEREAS casual vacancies of Municipal Councillors have occurred in 12 wards of the Municipal Corporation of Delhi as shown below and bye-elections to fill the said vacancies shall be held on 30/11/2025 in accordance with the provisions of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, (as amended till date) and the rules made thereunder:-

S. No.	No. & name of Ward	Status of Reservation
1	2	3
1.	35 - Mundka	General
2.	56 - Shalimar Bagh-B	Women
3.	65 - Ashok Vihar	Women
4.	74 - Chandani Chowk	General
5.	76 - Chandani Mahal	General
6.	120 - Dwarka-B	Women
7.	128 - Dichaon Kalan	Women
8.	139 - Naraina	General
9.	163 - Sangam Vihar-A	General
10.	164 - Dakshin Puri	Scheduled Caste
11.	173 - Greater Kailash	Women
12.	198 - Vinod Nagar	General

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon me under section 12 of the aforesaid Delhi Municipal Corporation Act, 1957, as amended. I, Dr. Vijay Dev, State Election Commissioner, National Capital Territory of Delhi, hereby call upon the electorates of all the above-mentioned 12 wards of the Municipal Corporation of Delhi, to elect Councillors in accordance with the provisions of the said Act, Rules and Orders made thereunder before 10/12/2025.

For the purpose of the above-mentioned bye-elections, the reservation status of each ward of Municipal Corporation of Delhi mentioned above, is shown against each ward and accordingly, the seat in the said wards, shall be filled by a candidate of the category mentioned against each ward in column 3.

 3/11/25

(Dr. VIJAY DEV)

State Election Commissioner

राज्य चुनाव आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

अधिसूचना

दिनांक:-03/11/2025

सं. एफ. 4/उप/(6)रा.चु.आ./विधि/2025/(i)/21316 -जबकि दिल्ली नगर निगम में निहित निम्नलिखित 12 वार्डों, जोकि नीचे दर्शाए गए हैं, में निगम पार्षदों की आकस्मिक रिक्तियां हुई हैं तथा उन रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, (वर्तमान तक संशोधित), तथा इनके अन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों के अनुसार 30/11/2025 को होंगे।

क्रम सं.	वार्ड की सं. एवं नाम	आरक्षण स्थिति
1	2	3
1.	35-मुंडका	सामान्य
2.	56-शालीमार बाग-बी	महिला
3.	65-अशोक विहार	महिला
4.	74-चांदनी चौक	सामान्य
5.	76-चांदनी महल	सामान्य
6.	120-द्वारका-बी	महिला
7.	128-दीवाऊं कलां	महिला
8.	139-नारायणा	सामान्य
9.	163-संगम विहार-ए	सामान्य
10.	164-दक्षिण पुरी	अनुसूचित जाति
11.	173-ग्रेटर कैलाश	महिला
12.	198-विनोद नगर	सामान्य

अब, अतः दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, (वर्तमान तक संशोधित), की धारा 12 के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, इसके द्वारा दिल्ली नगर निगम के उपरोक्त समस्त 12 वार्डों के मतदाताओं को उक्त अधिनियम, नियमावली और इनके अन्तर्गत बनाए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार पार्षदों के उपचुनाव द्वारा दिनांक 10/12/2025 से पहले पार्षद निर्वाचित करने का आह्वान करता हूं।

उपरोक्त वर्णित उप-चुनावों के प्रयोजनार्थ उक्त उल्लेखित दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के आरक्षण की स्थिति, प्रत्येक वार्ड के सामने कॉलम संख्या 3 में दर्शाई गई है और तदनुसार उक्त वार्डों की सीट प्रत्येक वार्ड के सामने उल्लेखित श्रेणी के प्रत्याशियों द्वारा ही भरी जाएगी।

(डॉ. विजय देव)

राज्य चुनाव आयुक्त